

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो

रजिस्टर्ड ए0डी0  
उल्लंघन पत्र

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय

सं0 :-म0प्र0/कटनी/ बाक्साइट - 41/2110 to 2112 जबलपुर दिनांक : 18/07/16

प्रति : **Shri P. C. Sharma**  
**H.I.G. No-9 , Housing Board Colony ,**  
**P.O. & Distt.- Katni (M.P.)**

विषय : म0प्र0 राज्य के कटनी जिले में स्थित आपकी अमोच ( **Amoch** ) लाइमस्टोन ( क्षेत्र 16.187 हे0 ) खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

इस कार्यालय के गिरीश श्रीवास्तव ,सहायक खनन भूविज्ञानी एवं आर मुन्डा, सहायक खनन अभियंता द्वारा आपकी उपस्थिति में दिनांक 23/06/16 को उपरोक्त खान का एम0 सी0 डी0 आर0 निरीक्षण करने पर पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	
13(1)	अनुमोदित खनन स्कीम पत्र सं0 MP/ Katni/Dolomite/MPLN/R-06/11-12 दिनांक 19/07/12 अनुसार अनुसार वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित 10 बोर होल नहीं लगाए गए हैं।

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
3. ध्यान रहे नियम 13(1) की अनुपालना न होने की स्थिति में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के नियम 13(2) के अन्तर्गत खान में खनन कार्य का स्थगन (suspension) किया जा सकता है।

अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचनापत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(कन्हैयालाल)

वरिष्ठ सहायक खनन भूविज्ञानी  
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक

प्रेषित  
18/07/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित। :

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 'खनिजभवन' 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0)

की 5

(कन्हैयालाल)

वरिष्ठ सहायक खनन भूविज्ञानी  
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक